न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, नाथद्वारा (राज.)
पीठासीन अधिकारी: पुरुषोत्तम लाल सैनी, आरजेएस
{जिला न्यायाधीश संवर्ग}

दाण्डिक विविध प्रकरण संख्या: 98/2026
(CIS No. : 98/2026)
(CNR No. : RJRS060003272026)
प्र.सू.रि. संख्या : 31/2026 पुलिस थाना देलवाड़ा

किशनदास पिता शंकरदास, आयु वयस्क, निवासी देलवाड़ा, तहसील देलवाड़ा, जिला राजसमन्द (राज.)

---प्रार्थी

विरूद्ध

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक।

---विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 497-503 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
अपराध धारा 8/22 एन.डी.पी.एस. एक्ट व 194 डी., 207 एमवी एक्ट

उपस्थित:-
1. श्री महेश वर्मा - विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री लोकेश कुमार माली - विद्वान् अपर लोक अभियोजक

आदेश

दिनांक: 18.07.2026

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र धारा 497, 503 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत पुलिस थाना देलवाड़ा की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 31/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 8/22 एन.डी.पी.एस. एक्ट व धारा 194 डी., 207 एमवी एक्ट में जब्तशुदा वाहन मोटरसाईकिल नंबर आर.जे.30 डी.एस. 1573 को सुपुर्दगी पर प्राप्त करने हेतु अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 18.05.2026 को प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र की प्रति अपर लोक अभियोजक को उपलब्ध कराई गई। संबंधित केस डायरी तलब की जाकर उसका अवलोकन किया गया।

2. प्रार्थना पत्र के संबंध में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने यह तर्क दिया कि प्रकरण में जब्तशुदा वाहन मोटरसाईकिल नंबर आर.जे.30 डी.एस. 1573 प्रार्थी के स्वामित्व की है। उक्त वाहन को पुलिस थाना देलवाड़ा द्वारा उक्त प्रकरण में जब्त कर रखा है। प्रकरण के अन्वेषण में जब्तशुदा वाहन की किसी प्रकार से कोई आवश्यकता नहीं है। उक्त वाहन के थाने पर पड़े रहने से उसके खराब होने की संभावना है। प्रार्थी को उक्त वाहन की आवश्यकता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त वाहन को उचित सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा पर छोड़े जाने की प्रार्थना की गई।

3. उक्त तर्को का विद्वान अपर लोक अभियोजक ने विरोध किया।

4. उभय पक्षकारान के परस्पर विरोधी तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट है कि वांछित वाहन मोटरसाईकिल नंबर आर.जे.30 डी.एस. 1573 पुलिस थाना देलवाड़ा की एफ.आई.आर. संख्या 31/2026 में जब्त की गई है। हस्तगत प्रकरण धारा 8/22 एन.पी.डी.एस. एक्ट व धारा 194 डी., 207 एमवी एक्ट से

संबंधित है। अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट है कि प्रकरण में अभियुक्त नितेश के कब्जेशुदा पॉलिथिन की थैलियों में 03.49 ग्राम अवैध एम.डी. (Methylene Dioxy) बरामद की गयी है। प्रकरण में उक्त वाहन मोटरसाईकिल नंबर आर.जे.30 डी.एस. 1573 को वजह सबुत जब्त किया गया है। प्रार्थी की ओर से प्रकरण में जब्तशुदा वाहन के संबंध में आर.सी. एवं बीमा की प्रति पेश की गई है जिनके अवलोकन से उक्त वाहन का स्वामी प्रार्थी होना प्रकट है। उक्त वाहन की आर.सी. में वर्णित चैसिस नंबर तथा फर्द जब्ती वाहन में वर्णित चैसिस नंबर एक ही है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में उपलब्ध सामग्री के आधार पर जब्तशुदा वाहन का प्रार्थी प्रथम दृष्टया आधिपत्यधारी होना इस प्रक्रम पर प्रकट है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में जब्तशुदा वाहन प्रार्थी को जमानतनामे एवं सुपुर्दगीनामे पर दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

न्यायिक दृष्टान्त **लूने खान बनाम राजस्थान राज्य, 2018(4) क्रि.लॉ.रि. (राज.) 1783** में स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत अपराध के संबंध में जब्त वाहन को छोड़े जाने के संबंध में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

न्यायिक दृष्टान्त **जगराजसिंह बनाम राजस्थान राज्य, 2017(3) क्रि.लॉ.रि. (राज.) 1200** में भी स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत अपराध के संबंध में जब्त वाहन को सुपुर्दगीनामे पर दिये जाने के संबंध में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

5. अतः प्रार्थी **किशनदास** की ओर से प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 497, 503 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जब्तशुदा वाहन मोटरसाईकिल नंबर आर.जे.30 डी.एस. 1573 के संबंध में प्रार्थी की ओर से रुपये 1,60,000/- का जमानतनामा व इसी राशि का सुपुर्दगीनामा न्यायालय के समक्ष संतोषप्रद ढंग से पेश कर तस्दीक करा दें कि जब भी न्यायालय उक्त वाहन को तलब करेगा तब प्रार्थी न्यायालय में उक्त वाहन पेश कर देगा तथा प्रार्थी इस आशय का एक शपथ पत्र भी न्यायालय में पेश करेगा कि वह उक्त वाहन को किसी अन्य को आगे विक्रय अंतरित नहीं करेगा, उसके मेक-मॉडल इत्यादि में कोई परिवर्तन नहीं करेगा और इस प्रकार के अपराध में उक्त वाहन का पुनः उपयोग नहीं करेगा तो उसे प्रकरण में जब्तशुदा उक्त मोटरसाईकिल नंबर आर.जे.30 डी.एस. 1573 को नियमानुसार लौटाया जावें। इस संबंध में तहरीर जारी हो।

साथ ही संबंधित थानाधिकारी प्रकरण में जब्तशुदा वाहन के तीन रंगीन फोटोग्राफ भिन्न-भिन्न कोणों से खींचकर न्यायालय में प्रेषित करेगा।

(पुरुषोत्तम लाल सैनी)
अपर सेशन न्यायाधीश, नाथद्वारा

6. आदेश आज दिनांक 18.07.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पुरुषोत्तम लाल सैनी)
अपर सेशन न्यायाधीश, नाथद्वारा